breakthrough

unicef
unite for children

मॉडयूल 7

बाल विवाह : क्या, क्यों और कैसे?

सीएसओ सहयोगियों द्वारा बाल विवाह में हस्तक्षेप की पहल करने हेतु रेडी रेकनर

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरण:
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

© Breakthrough/India

मॉड्यूल 7

बाल विवाह: क्या, क्यों और कैसे?

सीएसओ सहयोगियों द्वारा बाल विवाह में हस्तक्षेप हेतु रेडी रेकनर,
जिसमें बदलाव के सिद्धान्त पर आधारित तथ्य एवं आंकड़े;
मुद्दे का विश्लेषण, कारक एवं प्रभाव,
संभव हस्तक्षेप रणनीतियां शामिल हैं।

विषय सूची

युनिसेफ के बारे में पृष्ठ 1

ब्रेकथ्रू के बारे में पृष्ठ 2

बाल विवाह: क्या, क्यों और कैसे पृष्ठ 4

बाल विवाह पर रेडी रेकनर 'क्यों'? पृष्ठ 4

रेकनर का उपयोग कौन कर सकता है? पृष्ठ 5

अनुभाग पृष्ठ 6

अनुभाग I - बाल विवाह: सन्दर्भ तय करना पृष्ठ 7

अनुभाग II - बाल विवाह: कारक और इनके प्रभाव क्या हैं? पृष्ठ 10

अनुभाग III - बाल विवाह: समाधान के लिए क्या किया गया है? पृष्ठ 13

अनुभाग IV - बाल विवाह: हस्तक्षेपों को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है - बदलाव के सिद्धान्त पर आधारित एक कार्यकारी रणनीति तैयार करना पृष्ठ 18

संलग्नक पृष्ठ 22

परिकल्पनाओं सहित बाल विवाह* का समाधान करने से संबंधित बदलाव का सिद्धान्त पृष्ठ 23

चित्रों की सूची

चित्र 1: भारत सरकार द्वारा बाल विवाह का समाधान करने के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं पृष्ठ 15

चित्र 2: बाल विवाह का समाधान करने में बदलाव के सिद्धान्त को तैयार करने के लिए बदलाव के सिद्धान्त का दृश्य निरूपण पृष्ठ 19

चित्र 3: बदलाव के सिद्धान्त - बाल विवाह का समाधान पृष्ठ 24

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: अधिक घटनाओं वाले राज्यों में बाल विवाह के प्रचलन में जिला स्तरीय भिन्नंता पृष्ठ 9

तालिका 2: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) की प्रमुख विशेषताएं पृष्ठ 14

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India/Crouch

बाल विवाह: क्या, क्यों और कैसे?

सीएसओ सहयोगियों के लिए बाल विवाह में हस्तक्षेप की पहल करने हेतु रेडी रेकनर

बाल विवाह पर रेडी रेकनर 'क्यों'?

समूचे विश्व में बाल विवाह एक गम्भीर मुद्दा है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में क्योंकि विवाह करने वाली लड़कियों में लगभग आधी बच्चियां[1] होती हैं। भारत में, हालांकि लड़कियों के लिए विवाह के समय औसत आयु में अल्प वृद्धि हुई है, फिर भी बाल विवाह लगातार एक गम्भीर मुद्दा बना हुआ है। जिला स्तरीय घरेलू सर्वे (2007-2008)[2] के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वाली लगभग 43 फीसदी महिलाएं ऐसी पाई गईं जिनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही हो गया था। वैश्विक रूप से, बाल वधुओं में भारत की प्रतिशत 40 फीसदी[3] है। हालांकि बाल विवाह लड़के और लड़कियों दोनों पर प्रभाव डालता है; लेकिन यह लड़कियों को अधिक प्रभावित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह को टालने या इसकी रोकथाम करने तथा लड़कियों के जीवन और उनके परिवारों पर इसके हानिकारक प्रभावों को एक हद तक कम करने के लिए कई संगठनों, शोधकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं ने मूल्यांकन कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किए हैं। विशेष क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा) तक सीमित और लड़कियों (जीवन कौशल, जागरुकता प्रसार) के साथ काम के विशेष तरीकों पर बल देने वाले, इन कार्यक्रमों में ऐसे सभी हस्तक्षेपों के लिए महत्विपूर्ण सबक निहित हैं जो बाल विवाह को रोकने, टालने और कम करने के लिए प्रयासरत हैं। कार्यक्रमों के अतिरिक्तह, राष्ट्रीय परिवार स्वाकस्य्ो सर्वे (एनएफएचएस)[4] और जिला स्तमरीय घरेलू सर्वे (डीएलएचएस)[5] के रूप में राष्ट्रीय स्तंर पर आंकड़ों की उपलब्धता वर्तमान आंकड़े (और इनकी व्याख्या) मुहैया कराती है जिससे मुद्दे को रेखांकित करना और राष्ट्रीय रुझानों को समझना आसान हो गया है।

1. प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन, यूनिसेफ 2007
2. डिस्ट्रीक लेवेल हाउसहोल्ड एंड फैसीलिटी सर्वे 2007-2008 - फैक्ट शीट - इन्डिया
3. एंड चाइल्ड मैरेज टुडे, यूनिसेफ, नई दिल्ली, 2013
4. एनएफएचएस भारत के 29 राज्यों में परिवारों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श में किया गया एक व्यानपक, बहु राउंड सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के तीन राउंड में अब तक 1992-1993 में पहला राउंड और उसके बाद क्रमश: 1998-1999 और 2005-2006 में दो और राउंड आयोजित किए गए। एनएफएचएस का चौथा राउंड 2014-2015 में जारी किया गया। सर्वेक्षण उर्वरता, शिशु एवं बाल मृत्युदर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य का उपयोग और गुणवत्ता, परिवार नियोजन सेवाएं और एचआईवी/एसआईडी पर भारत के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की जानकारी प्रदान करता है।
5. डीएलएचएस एक घरेलू सर्वेक्षण है जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के उपयोग पर राष्ट्रीय, राज्य् एवं जिला स्तर की जानकारी जुटाने के लिए देश के सभी राज्यों और के शासित प्रदेशों में किया गया। तीन राउंड के सर्वेक्षण में अबतक 1998-1999 में पहला राउंड और उसके बाद क्रमश: 2002-2004 में और हाल ही में 2007-2008 में दो और राउंड आयोजित किए गए। डीएलएचएस का चौथा राउंड (2012-13) 9 राज्यों के लिए जारी किया गया है https://nrhm-mis.nic.in/SitePages/DLHS-4.aspx

© UNICEF/India/Khemka

रेडी रेकनर का उद्देश्य संचालकों को बाल विवाह पर वर्तमान आंकड़े/जानकारी, इसके कारकों एवं प्रभाव के साथ-साथ मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत में किए गए हस्तक्षेपों की सीमा उपलब्ध कराना है। साथ ही यह संचालकों को हस्तक्षेपों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के समय प्रमुख विचार भी मुहैया कराता है। इस दस्तावेज की उपयोगिता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि इसने एक जटिल सामाजिक मुद्दे को छोटे-छोटे भागों में स्पष्ट करते हुए इसकी जटिलता का पता लगाने के लिए बाल विवाह को समझने और हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए एक तैयार दस्तावेज उपलब्ध कराया है।

रेकनर का उपयोग कौन कर सकता है?

बाल विवाह में हस्तेक्षेप करने वाले क्षेत्रों में इसका समाधान करने के लिए नियोजन रणनीतियों, मुख्य प्रवेश बिन्दुओं और क्रियाकलापों में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रेकनर का उपयोग किया जा सकता है। रेकनर 5 अनुभागों में बंटा है: अनुभाग I सन्दर्भ तय करते हुए मुद्दे से परियच कराता है; अनुभाग II भारत से संबंधित विशेष आंकड़े उपलब्ध कराता है जो समस्या के प्रचलन और जटिलता को उजागर करता है। अनुभाग III उन कारणों का विश्लेषण करता है जो बाल विवाह, इसके कारकों और परिणामों को रेखांकित करते हैं जबकि अनुभाग IV भारत में उन हस्तक्षेपों (नीति एवं कार्यक्रम संबंधी) का सारांश है जिन्हें मुद्दे का समाधान करने के लिए लागू किया गया है। समापन अनुभाग के रूप में अनुभाग V उन सिफारिशों/संभव प्रवेश बिन्दुओं के बारे में बताता है जिनका 'बदलाव के सिद्धान्त' पर आधारित बाल विवाह में हस्तक्षेप के लिए योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए संचालकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

© Breakthrough/India

अनुभाग

अनुभाग

1

बाल विवाह : सन्दर्भ तय करना

बाल विवाह एक विश्वव्यापी घटना है लेकिन अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में यह सर्वाधिक प्रचलित है, हालांकि हाल के दशकों में इस प्रथा में कुछ कमी आई है, किन्तु ग्रामीण इलाकों तक सर्वाधिक निर्धनता वाले समूहों[6] में ये प्रथा सामान्य है । बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद, कई समुदायों में यह परंपरा बनी हुई है। विवाह के विकल्प प्रदान करने वाले रोकथाम एवं उन्मूलन कार्यक्रम जैसे कि लड़कियों को स्कूल भेजना, उन्हें नकद धनराशि उपलब्ध कराना या/और जन्म और विवाह पंजीकरण का नियम आदि इस आशंका को रोकने में विफल रहे हैं।

विश्व में किशोरवय की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है और देश के सामने उनके बुनियादी अस्तित्व एवं विकास जरूरतों को पूरा करने की अहम चुनौतियां हैं। लड़कियां विशेषकर अतिसंवेदनशील समूह है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मूल अधिकारों की पूर्ति के संबंध में भेदभाव का सामना करता है। किशोरी की अवस्था का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 47 फीसद का वजन कम है और 56 फीसद एनीमिया[7] से पीड़ित हैं और उनमें से कई प्राथमिक या माध्ययमिक शिक्षा से वंचित हैं। देश के कई हिस्सों में लड़कियों को 'भार' समझा जाता है और बहुत ही कम उम्र में वे विवाह के लिए तैयार किया जाता हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका की धारणा, लड़कियों कि कीमत, विवाह से संबंधित सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े संरचनात्मक और आर्थिक कारण – बाल विवाह को संभव बनाते हैं। लड़कियों पर बाल विवाह का प्रभाव बहुआयामी होता है जिसमें कम उम्र में ही गर्भधारण, अगली पीढ़ी में पोषण का अभाव, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीमित अवसर, मानसिक तंदरुस्ती पर बुरा असर डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे साक्ष्यों में वृद्धि हो रही है जो यह बताते हैं कि 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली लड़कियां अपनी ही उन साथी लड़कियों की अपेक्षा

6. स्टेट ऑफ वर्ल्डस् पॉपुलेशन 2005, यूएनएफपीए
7. स्टेट ऑफ वर्ल्डस् चिल्ड्रेन 2011, एडोलसेंस – एन ऐज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यूनिसेफ

घरेलू हिंसा की शिकार कहीं अधिक सरलता से होती हैं, जिनका विवाह बाद[8] में होता है।

जल्दी, बाल एवं जबरन विवाह की रोकथाम करने तथा इसके उन्मूलिन हेतु प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए 25 सितम्बर 2013 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव (देखें http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/L.34/Rev.1) पारित किया, जिसके द्वारा सामूहिक रूप से इन सभी तीनों मामलों का पाया जाना न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने वाला कृत्य भी है। सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि बाल विवाह, जबरन विवाह और बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए तरीकों को इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है जो प्रकृति में काफी हद तक एक जैसे हों। इस दस्तावेज में जल्दी और बाल विवाह को एक-दूसरे के स्थान पर और लगातार प्रयोग किया गया है।

भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले अस्सी् वर्षों से कानून है लेकिन इसका प्रभाव सीमित है। मुद्दे का समाधान करने के लिए 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) पारित किया गया, लेकिन इसे स्थानीय स्तर पर अमल में ला पाना अभी भी एक चुनौती है। बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास में सरकार और नागरिक समाज द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गईं। हालांकि ये प्रयास उल्लेखनीय हैं, जिनसे समस्या की भयावहता और लड़कियों और उनके जीवन अवसरों पर इसके प्रभाव का पता चला। इस सन्दर्भ में बहुत कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है।

इस प्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार, सुदृढ़ और केन्द्रित प्रयासों की जरूरत है। बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए दो परस्पर संबंधित कारण एक केन्द्रीय तर्क का निर्माण करते हैं: पहला लड़कियों के अधिकारों को बचाए रखना; और दूसरा स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों को प्राप्त् करना, लड़कियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संपत्तियों को विकसित करने में निवेश करना, माध्यमिक स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और 18 वर्ष पूरे होने तक विवाह न करने के निश्चय से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी। इससे स्वस्थ परिवार और उच्च लैंगिक समानता भी आती है। जिसके फलस्वरूप सुदृढ़ समाजों और अधिक खुशहाल अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण संभव है। अत: लड़कियों के लिए देरी से विवाह में निवेश सभी[9] के लिए विकास में निवेश को प्रकट करता है।

बाल विवाह की घटना का मापन करने के लिए वैश्विक रूप से प्रयुक्त होने वाले मुख्य संकेतकों में से एक, वर्तमान में 20-24 वर्ष की आयु वाले समूह में ऐसी विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है जिनका विवाह 18 वर्ष की वैधानिक आयु से पहले हो गया। जहां तक भारत की बात है, एनएफएचएस के तीन चरणों के आंकड़े गिरावट का रुख दर्शाते हैं, फिर भी गिरावट की दर बहुत ही धीमी रही है - प्रति वर्ष एक प्रतिशत से कम। डीएलएचएस 2007-2008 के आंकड़ों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भारत के कई राज्यों में लगातार बहुत अधिक है। 20-24 वर्ष की आयु वाले समूह में वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में 48 फीसद और नगरीय इलाकों में 29.4 फीसद है। हालांकि नगरीय और ग्रामीण इलाकों के मध्य् अंतराल 1992-1993 (एनएफएचएस) में 30.2 प्रतिशत अंकों से गिरकर 2007-2008 (डीएलएचएस) में लगभग आधा 18.6 प्रतिशत अंक रह गया है, फिर भी वर्तमान में नगरीय इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बाल वधू बनने वाली विवाहित महिलाएं दोगुनी हैं।

भारत में राज्य आधारित आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार के उत्तर-दक्षिण में बाल विवाह दर सर्वाधिक 68 फीसद है जबकि हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह की घटना का प्रतिशत सबसे कम लगभग 9 फीसदी है। छह राज्यों तक फैले पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर- जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है, में बाल विवाह की घटना सबसे अधिक है जोकि 53.8 फीसद से लेकर 68.2 फीसद तक है (तालिका 1 देखें)। इन सभी राज्यों में से प्रत्येक में, 20-24 वर्ष की आयु वाले समूह में वर्तमान में विवाहित दो महिलाओं में से कम से कम एक बाल वधू है।[10]

8. चाइल्ड मैरेज: ए हार्मफुल ट्रेडिशन, यूनिसेफ, 2005
9. मागरिट ई ग्रीन, एंडिंग चाइल्डि मैरेज: व्हाट रिसर्च इज नीडेड, ग्रीनवर्क्सच, जनवरी 2014
10. इबीड - फैक्ट शीट ऑन फोर्स मैरेज, यूनएफपीए

तालिका 1 : अधिक घटनाओं वाले राज्यों में बाल विवाह के प्रचलन में जिला स्तरीय भिन्नतता

राज्य	18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाहित 20-24 वर्ष की आयु वाली महिलाओं का %	राज्य की औसत से अधिक जिलों का %
बिहार	68.2	54.1
झारखंड	55.7	50.0
मध्य प्रदेश	53.8	51.1
राजस्थान	57.6	56.3
उत्तर प्रदेश	54.9	44.3
पश्चिम बंगाल	54.8	52.6

स्रोत: अधिक घटनाओं वाले राज्यों में जिला स्तरीय भिन्ता, डीएलएचएस 2007-2008

मुख्य सामाजिक समूहों में विवाह की उम्र में भी असमानताएं दिखती हैं। हाशिए के सामजिक समूहों में लडकियां और लड़के दोनों अन्य समूहों से दो साल पहले विवाह करते हैं। दूसरे सामान्य सामाजिक समूहों की विवाह के समय औसत आयु (18.7 वर्ष) की तुलना में अनुसूचित जाति (16.5 वर्ष), अनुसूचित जनजाति (16.7 वर्ष) और अन्य पिछली जातियों (16.8 वर्ष) वाले समूहों की विवाह के समय औसत आयु काफी कम है।[11] इसके अतिरिक्त, आंकड़े यह भी उजागर करते हैं कि विवाह के समय औसत आयु का परिवार की आर्थिक दशा से उल्टा संबंध है। निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित 25-29 वर्ष की आयु वाले समूह की महिलाएं उच्च आय वर्ग से संबंधित परिवारों में समान आयु समूह की महिलाओं से पांच वर्ष पूर्व विवाह कर लेती हैं। परिवार की आर्थिक दशा एक अहम प्रेरक होती है क्यों कि सीमित आर्थिक संसाधनों वाले माता-पिता विवाह को पारिवारिक खर्च को कम करने, दहेज कम देने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर बचत करने के एक समाधान के रूप में देखते हैं।[12]

उपलब्ध आंकड़े शिक्षा और बाल विवाह के मध्य गहन सहसंबंध की तरफ इशारा करते हैं जो मुद्दे का समाधान करने वाले हस्तक्षेपों के लिए एक मुख्या प्रवेश बिन्दुत प्रदान करते हैं। लगभग 72 फीसद महिलाओं (18 से पूर्व विवाहित 20-24 के आयु समूह में) और 56 फीसद पुरुषों (21 से पूर्व विवाहित 20-25 के आयु समूह में) ने बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वैधानिक आयु से पूर्व विवाहित केवल 13 फीसद महिलाओं और 16 फीसद पुरुषों ने कम से कम 10 वर्ष की शिक्षा पूरी की थी। 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की तुलना में बिना शिक्षा वाली महिलाओं में बाल विवाह करने की संभावना छह गुना होती है। इसलिए, आंकड़े प्रभावशाली ढंग से बताते हैं कि शिक्षा बाल विवाह के विरुद्ध एक कारगर निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।[13]

ध्यान रखने वाले मुख्य बिन्दु!

- हालांकि बाल विवाह एक वैश्विक घटना है, लेकिन यह अफ्रीका और दक्षिण एशिया में बहुत अधिक फैली हुई है जिसमें से पूरी दुनिया में होने वाले बाल विवाहों में भारत की हिस्सेदारी 40 फीसद है;
- देश में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाल विवाह के मामले सर्वाधिक हैं। विवाह, पितृसत्ता और लिंग मानदंड से संबंधित पैटर्न भौगोलिक वितरण के संभावित निर्धारक हैं;
- भारत में 20-24 वर्ष की आयु वाले समूह की महिलाओं की कुल संख्या में से, 23 मिलियन से अधिक बाल वधू बनी हैं;
- हालांकि बाल विवाह लड़के और लड़कियों दोनों को प्रभावित करता है, फिर भी इसका प्रभाव लड़कियों पर कहीं ज्यादा है- किशोरी लड़कियां विशेष रूप से कमज़ोर समूह है;
- नगरीय इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है;
- हाशिए के सामाजिक समूहों लड़कियां और लड़के बाल विवाह के प्रति अधिक कमज़ोर होते हैं और उनमें दूसरे समूहों से संबंधित लोगों की अपेक्षा दो वर्ष पूर्व विवाह करने की प्रवृत्ति होती है;
- उच्च आय वाले परिवारों की अपेक्षा अधिक निर्धन परिवारों की लड़कियां कम से कम 5 वर्ष पूर्व विवाह कर लेती हैं।
- अशिक्षित महिलाओं का कम उम्र में विवाह उन महिलाओं से 6 गुना ज्यादा संभावित है, जिन्होंने 10 वर्ष शिक्षा ग्रहण की है ।

11. सामाजिक समूहों द्वारा प्रथम विवाह के समय मध्यमान आयु, NFHS 2005-2006
12. भारत में बाल विवाह: उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण, UNICEF 2012
13. शिक्षा के स्तर के द्वारा शादी की उम्र में लिंग असमानता, NFHS 2005-2006

अनुभाग

2

बाल विवाह : कारक और इनके प्रभाव क्या हैं?

बाल विवाह न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि यह बुनियादी विकास लक्ष्यों की प्रगति को भी धीमा कर देता है। साक्ष्यों से पता चलता है कि बाल विवाह निर्धनता, अल्प-पोषण और निरक्षरता के चक्र को बरकरार रखता है जिससे भारत की प्रगति और विकास प्रभावित हो रहे हैं।[14]

बाल विवाह की प्रथा असमान लैंगिक मानकों की जड़ों में व्याप्त है जोकि पितृसत्तात्मक समाज का एक लक्षण है। बाल विवाह में निहित कारकों का सारांश यूँ है :

- असमान लैंगिक मानकों और लैंगिक प्रथाओं के प्रचलन में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान का मूल्य कम आंका जाता है, जिससे बाल विवाह की परम्परा लगातार बनी रहती है। महिलाओं को मुख्यत: प्रजनन और घरेलू दायित्व निभाने वाला माना जाता है और इसलिए शिक्षा और दूसरे अवसरों के मामले में निवेश लायक नहीं मानते। लम्बे समय से प्रथा कि शादी के बाद लड़की परिवार का सदस्य नहीं रह जाती (पराया धन कहा जाता है) और इसलिए वो परिवार में आर्थिक योगदान नहीं देती। बेटियों की लंबे समय तक यही प्रथा उनके परिवार के सदस्यों को विवाह (प्राय: 'पराया धन' कहा जाता है) तक ले आती है और इस तरह घर को आर्थिक रूप से योगदान नहीं देतीं।
- पितृसत्तात्मक मूल्यों का आशय महिलाओं के और लड़कियों के प्रजनन एवं यौन अधिकारों को नियंत्रित करना समझा जाता है। बेटी के यौन-उत्पीड़न या भाग जाने पर परिवार के 'अपमान' के डर से बाल विवाह को लड़कियों की पवित्रता और फलस्वरूप परिवार के सम्मान की 'रक्षा करने' के एक साधन के रूप में देखते हैं।
- किसी परिवार की निर्धनता या आर्थिक दशा भी एक मुख्य निर्धारक होती है। साक्ष्या बताते हैं कि निर्धनतम परिवारों में लड़कियां धनाढ्य परिवारों में महिलाओं की अपेक्षा कम से कम पांच वर्ष पहले मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में ही विवाह कर लेती हैं।

14. इन्ड चाइल्ड मैरेज: चेंज पर्सेप्शंस एंड बिलीफ्स, यूनिसेफ 2013

- वैधानिक रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद दहेज प्रथा बाल विवाह को लगातार बनाए रखे हुए है। क्योंकि लड़की की उम्र और शिक्षा के साथ-साथ दहेज की धनराशि बढ़ती जाती है, इसलिए विशेषकर निर्धन परिवारों के माता-पिता में अपनी बेटियों का विवाह अल्प आयु में ही कर देने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, विवाह समारोहों की उच्च लागत के चलते परिवार अपनी सभी बेटियों का विवाह बिना उम्र की परवाह किए एक ही विवाह समारोह में कर देते हैं।
- असंतुलित लिंगानुपात के कारण समुदायों में लड़कियों की संख्या कम है। महिलाओं की कमी से लैंगिक महिला भूमिकाओं जैसे कि प्रजनन, घरेलू कार्य और देखभाल के कार्य को बल मिलता है। महिलाओं का अपना स्वयं का कम प्रतिनिधित्व होता है और अपनी साझेदारी की समान प्रत्याशाओं में वे सचमुच गिरावट का अनुभव कर सकती हैं। साथ ही यह भी संभव है कि उनके लिए होड़ करने वाले पुरुषों की अधिकता के साथ महिला के रूप में उन्हें समझौता करना पड़े, माता-पिता अविवाहित लड़कियों की स्कूली या उच्ची शिक्षा छुड़वा सकते हैं या विवाह से पहले उनके नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्योंकि भारत में विवाह से पहले किसी महिला के कौमार्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, इसलिए बाल विवाह को एक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार हाल ही के दशकों में महिलाओं द्वारा हासिल की गयी कई बढ़त का वापिस उसी जगह पहुँचने का खतरा है। कई विद्वानों का तर्क है कि महिलाओं की कमी वास्तव में एक बड़ा जोखिम है।[15]

बाल विवाह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है और यह उनके जीवन विकल्पों और चुनावों को गम्भीर रूप से सीमित करता है। दो दशकों से भी अधिक समय से बाल विवाह को निषेध करने वाला मौजूदा कानून कहता है कि अकेले कानून उस मामले का समाधान नहीं कर सकता जो सामाजिक रीति-रिवाजों में अन्दर तक व्याप्त है। उन असमान लिंग मानदंडों को बदलना अनिवार्य है जो ऐसे रीति-रिवाजों को बढ़ावा देते हैं। मामले का समाधान करने के लिए समुदाय के उन दृष्टिकोण और मतों को बदलना आवश्यक है जो ऐसे मानदंडों और मतों को कायम रखते हैं। बच्चों, विशेषकर लड़कियों पर बाल विवाह का असर बहुआयामी होता है।

- अल्पआयु में विवाह करने वाली लड़कियां शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से बच्चों की देखाभाल करने और मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह होने पर किशोरावय में गर्भधारण के दौरान मां और शिशु दोनों को स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम रहता है। भारत में, 15 और 19 वर्ष की आयु के मध्य छह लड़कियों में से एक बच्चे पालना शुरू कर देती है। 20 वर्ष से कम उम्र में जन्म देने वाली महिलाओं में दो में से एक शिशु की मृत्यु जन्म् के समय ही हो जाती है, जबकि 20 और 39 वर्ष[16] की आयु के मध्य महिलाओं में यह ऑकड़ा तीन में से एक का है। 30-34 आयु समूह वाली महिलाओं की तुलना में उन्हें प्रसव से संबंधित जटिलताएं होने की संभावना भी अधिक रहती है।
- कम उम्र वाली माताओं के बच्चे कम स्वस्थ्य भी होते हैं। 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित माताओं से जन्म लेने वाले पांच वर्ष से नीचे की आयु वाले बच्चों में अल्प-पोषण का जोखिम भी अधिक रहता है। ये कम उम्र वाली माताएं स्वयं भी बार-बार कुपोषण का शिकार होती हैं।
- घर से बाहर महिलाओं के आने-जाने की आजादी[17] के बारे में सूचक यह इशारा करते हैं कि महिलाओं के लिए घर से बाहर की दुनिया में जाने के विकल्प बहुत सीमित हैं, विशेषकर कम उम्र में विवाहित लड़कियों (15-19 वर्ष) के लिए। किशोरवय बहुओं का बाहर आना जाना बहुत सीमित होता है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर। छह लड़कियों में से एक गांव/समुदाय से बाहर अकेली जा पाती है जबकि पांच लड़कियों में से एक स्वास्थ्य सुविधाओं तक अकेली जाने में सक्षम होती है। तीन लड़कियों में से केवल एक ही अकेली बाजार जाती है।[18]
- बाल वधुओं में घरेलू हिंसा, शोषण और एचआईवी/एड्स के संपर्क में आने की संभावना भी अधिक होती है। 15-19 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं में से लगभग 13 फीसद अपने पतियों द्वारा यौन हिंसा का शिकार होती हैं जबकि 30 से 39 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं में यह प्रतिशत 10 फीसद है।
- घर में कम उम्र की महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। प्रमुख घरेलू खरीदारी के मामले में, दो बड़ी महिलाओं (15-49 वर्ष)

15. लीला दुबे, मिसएडवेंचर्स इन एम्नियोसेंटेसिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीक्ली, 18 (8), 1983
16. जन्म के समय मां की आयु के अनुसार बाल मृत्युदर, एनएफएचएस 2005-2006
17. आने-जाने की आजादी जिनमें तीन विभिन्नर स्थानों तक आवागमन शामिल है- बाजार, स्वास्थ्य सुविधा और गांव या समुदाय से बाहर के स्थान
18. विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, जिनको अकेले सार्वजनिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति है- एनएफएचएस 2005-2006

में से एक की अपेक्षा चार लड़कियों (15-19 वर्ष) में से केवल एक ही निर्णय लेने में योगदान देने के लिए सक्षम है। दैनिक घरेलू जरूरतों की खरीदारी या परिवार/संबंधियों के यहां जाने का निर्णय लेने के लिए बड़ी महिलाओं (15-49 वर्ष) के मामले में पांच में से तीन की तुलना में तीन लड़कियों (15-19 वर्ष) में से एक ही योगदान देती है। स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्णय लेने में पांच महिलाओं (15-49 वर्ष) में से तीन की अपेक्षा पांच लड़कियों (15-19 वर्ष) में से केवल दो ही योगदान देती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णय लेने वाले सभी वर्गों में 15-19 वर्ष के आयु समूह वाली लड़कियों ने सबसे कम योगदान दिया।[19]

- अल्प-आयु में विवाहित कई लड़कियों का स्कूल जबरन बीच में ही छुड़वा दिया जाता है। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ने का कारण बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। भारत में, दो विद्यार्थियों में से एक दसवीं ग्रेड से पहले स्कूल छोड़ देती हैं। यह दर मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों में अधिक है, जहां बाल विवाह एक आम बात है।[20]

ऊपर बताए गए इन तथ्यों के अतिरिक्त, बाल विवाह के कारण लड़कियों के स्वस्थ, उपयोगी और सशक्त नागरिकों के रूप में स्वयं को पूरी तरह से विकसित करने की संभावना ख़त्म हो जाती है । स्कूल में कम उपस्थिति, मातृत्वक रुग्णता व मृत्यु-दर का सामूहिक प्रभाव एवं बाल विवाह और बच्चों को पालने का दीर्घकालिक असर बच्चों पर गम्भीर होता है और इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यवकता है। मामला और भी गम्भीर हो जाता है जब बाल वधुओं को बेटा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे बार-बार गर्भधारण और बच्चों के जन्म् होता रहता है।

ध्यान रखने वाले मुख्य बिन्दु!

- **बाल विवाह असमान लिंग मानदंडों और पितृसत्तात्माक मूल्यों में व्याप्त है जो लड़कियों और महिलाओं को कम तरजीह देते हैं और समाज में उनके मूल्य और योगदान को कम आंकते हैं;**
- **सामाजिक मूल्य और मत, महिलाओं और लड़कियों की निम्न स्थिति, दहेज प्रथा का प्रचलन और परिवारों के आर्थिक प्रतिबंध बाल विवाह को मुख्य रूप से बढ़ावा देते हैं;**
- **बाल विवाह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है और इससे लड़कियों के स्वास्थ्य, तंदरुस्ती और जीवन विकल्पों पर बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियां कम स्वस्थ होती हैं; कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियां में स्वयं पोषण की कमी होती है, इस प्रकार अगली पीढ़ी में भी पोषण का अभाव बना रहता है;**
- **बाल-वधुओं में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और एचआईवी/एड्स के शिकार होने की संभावना अधिक होती है; और**
- **युवा महिलाओं में कौशलों की कमी होती है, घर पर निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और सार्वजनिक स्थलों पर आना-जाना सीमित होता है। वे आर्थिक रूप से कमजोर भी होती हैं और बड़ी विवाहित महिलाओं की अपेक्षा वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुंच कम से कम होती है।**

19. घरेलू निर्णय लेने में शामिल विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, एनएफएचएस 2005-2006
20. लैंगिक आधार पर कक्षा 1 से 10 तक बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर, सामाजिक समूह, एसईएस एमओएचआरडी, 2007-2008

अनुभाग

3

बाल विवाह: समाधान के लिए क्या किया गया है?

बाल विवाह के मामले का समाधान करने के लिए नीतिगत उपायों, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं और समाज द्वारा समुदाय आधारित हस्तेक्षेपों का संयुक्त उपयोग किया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महिलाओं के साथ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मलेन (सीईडीएडब्ल्यू) और बाल अधिकारों पर सम्मलेन का समर्थन किया है, ये दोनों ही बाल विवाह से सम्बंधित हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज देने और लेने का निषेध करता है; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6-14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।

कानून के संबंध में, विवाह की उम्र दो अधिनियमों द्वारा विनियमित है:

- हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954)। विवाह के लिए उपयुक्त होने की, पुरुषों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है।
- बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (सीएमआरए) कानून का पहला भाग है जो बाल विवाह की घटना की रोकथाम करने के लिए लक्षित है। नया बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) पूर्व के कानून में महत्व पूर्ण बदलाव लाने के लिए बनाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) बाल विवाह को लड़की या लड़के के अवयस्क होने पर किए जाने वाले विवाह के रूप में परिभाषित करता है, अर्थात लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो।

मुख्य राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

बाल राष्ट्रीय नीति, 2013
केन्द्रीय मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर, नीति पूरे बाल सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाती है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों, जिसमें विवाहित बच्चे भी शामिल हैं, का पता लगाकर उन्हें पुनर्वासित करती है तथा शिक्षा के अधिकार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करती है।

बाल विवाह पर राष्ट्रीय रणनीति:
तैयार की जा रही प्रक्रियाधीन रणनीति भारत सरकार की बाल विवाह पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है। जरूरी देखभाल व सुरक्षा वाले मामलों की पहचान और तत्काल परामर्श सुनिश्चित करने के लिए यह इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आईसीपीएस) और वैधानिक निकायों के साथ संपर्क सुनिश्चित करने की सलाह देती है। रणनीतिक निर्देशों में से ऐसे मामलों में जहां बच्चे पहले से विवाहित हैं; स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और रोजगार कार्यक्रमों जैसी सेवाओं में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे रणनीतिक निर्देशों में शामिल हैं; केन्द्र और राज्यक स्तर पर कानून का सख्ती से पालन, गुणवत्ता (परक शिक्षा और दूसरे अवसरों तक पहुंच में सुधार करना, मीडिया और हितधारक सहभागी विधियों के माध्यम से मानसिकता और मानकों को बदलना, किशोरवय के लिए सुरक्षित परिवेश तैयार करके उन्हें सशक्त बनाना, समूह बनाना, और उनके जीवन कौशल का विकास करना, साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर ज्ञान और आंकड़े उपलब्ध कराना, और अंत में, निगरानी किए जा सकने वाले इस प्रकार के हस्तक्षेपों के लिए सूचक विकसित करना।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी योजना:
बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रक्रियाधीन राष्ट्रीय कार्यकारी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो रणनीतिक हस्तक्षेपों को एक साथ जोड़ने वाले एक मॉडल का प्रयोग करते हुए लागू किए जाने की बात कहती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों भारत में लड़कियों और लड़के को बाल विवाह से मुक्त कराना तथा उन्हें उनकी पूरी क्षमता का अहसास कराना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है। योजना में सात उद्देश्य और विशिष्ट रणनीतियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अधिकार क्षेत्र में अहम होने के साथ-साथ पूरक भी है और बाल विवाह के मामले का समाधान करने के लिए एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करती हैं।

तालिका 2: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं (पीसीएमए)

प्रवर्तन	दण्ड	बहाली
• सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती हों • बाल विवाहों की रोकथाम करने तथा इनके लिए विधिवत मुकदमा चलाने और जागरुकता फैलाने के शक्ति के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति • सीएमपीओ के माध्यम से जिलाधिकारी निषेधाज्ञाओं और विज्ञापनों को जारी करके बड़े पैमाने पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम कर सकता है और निरोधक उपाय अपना सकता है।	• पुरुष अनुबंधीय पक्ष के लिए दो वर्ष तक का सख्त कारावास या 100,000 रुपए का आर्थिक दण्ड या दोनों • बाल विवाह करने, कराने, निर्देशित करने या इसे शह देने वालों के लिए समान दंड। इसमें ऐसा वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो ऐसे विवाह के आयोजन को प्रोत्साहित करे, अनुमति दे या लापरवाही के चलते रोकथाम करने में विफल हो	• लड़की के पुनर्विवाह तक पुरुष अनुबंधीय पक्ष या उसके माता-पिता से जीविका और आवास • विवाह के लिए एक पक्ष रहे बच्चे द्वारा वयस्कता प्राप्त कर लेने के दो वर्ष की अवधि के पश्चात जिला न्यायालयों द्वारा अमान्य किया जा सकता है[21] • विवाह से जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे के संरक्षण के लिए उपयुक्ते आदेश

स्रोत: ब्रीफिंग पेपर सिरीज: नवाचार, सबक और अच्छी प्रथाएं। बाल विवाह में समुदाय आधारित हस्तिक्षेप UNICEF 2011

21. अमान्यंता के लिए आवेदन करने हेतु किशोरवय बहुओं को 18 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। साथ ही, किशोरवय माताएं आजीविका और अपने बच्चों के पालन के लिए भरण पोषण हेतु अपने अवयस्क पतियों से मांग भी नहीं कर सकतीं। ऐसे मामलों में, अमान्यूता के लिए आवेदन करने की छूट और बच्चे पालना किशोरवय लड़कियों की जिम्मेदारी बन जाती है।

हालांकि कानून की कमियों, अच्छी् तरह से लागू न हो पाने और इच्छाशक्ति की कमी ने इसके कार्यान्वयन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके अलावा, सामाजिक मानदंड वैधानिक मानकों पर हावी हो गए हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी प्राय: लम्बे समय से चली आ रही प्रथाओं को रोकने में असमर्थ हैं क्योंकि वे भी उसी समुदाय का अंग हैं। दहेज निषेध अधिनियम (दहेज प्रथा निरोधक) और बाल विवाह निषेध अधिनियम के कमजोर तरीके से लागू होने के कारण कुछ अभियोग भी सामने आए हैं। लागू करने का कार्य प्राय: उन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का होता है जो स्थानीय समुदायों का अंग होते हैं और जिनमें पड़ोसियों पर उंगली उठाने की इच्छा नहीं हो सकती।

कानूनी और नीतिगत पहलकदमियों के अलावा, भारत सरकार ने बाल विवाह का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। कुछ प्रमुख सरकारी कार्यक्रम/योजनाओं में शामिल हैं:

चित्र 1: भारत सरकार द्वारा बाल विवाह का समाधान करने के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं

स्वास्थ्य	• **किशोरवय का प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच)**-निवारक, संवर्द्धक, उपचारात्मक और परामर्श सेवाओं का प्रावधान
शिक्षा	• **प्रारंभिक स्तूर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीएल)**-वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान • **सर्व शिक्षा अभियान-** सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है, जो लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यालय के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित है। • **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), 2007 -** एसएसए का एक घटक जो मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करता है।
बाल सुरक्षा	• **इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आईसीपीस), 2009-** देखभाल एवं पुनर्वास सेवाएं जिनमें आपातकालीन मदद, संस्थागत व गैर-संस्थागत समर्थन शामिल हैं।
महिला एवं बाल विकास	• **किशोरी शक्ति योजना-**11-18 वर्ष की आयु-समूह वाली बालिकाओं की विकास, पोषण, स्वाशस्य्च और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करती है • **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु समर्थन-** विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक अवसरों में वृद्धि करना • **किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (एसएबीएलए)-** पोषण, व्योवसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल मुहैया कराना तथा सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना

स्रोत: ब्रीफिंग पेपर सिरीज: नवाचार, सबक और अच्छी प्रथाएं। बाल विवाह में समुदाय आधारित हस्तक्षेप UNICEF 2011

22. एंड चाइल्डो मैरेज: चेंज पर्सेप्शंपस एंड बिलीफ्स, यूनिसेफ 2013

इन राष्ट्रीय स्तर की पहलकदमियों के अलावा, राज्य स्तर पर भी विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जो नकद प्रोत्सांहन प्रदान करके लड़कियों को मदद देती हैं। ये योजनाएं वैधानिक आयु से ऊपर ऐसे विवाहों का समर्थन करती हैं जो एकल (जैसे गुजरात में कुंअरबैनू ममेरू या झारखंड में मुख्य मंत्री लाडली लक्ष्मी योजना) या समूहों (जैसे सात फेरा समूह लग्न, गुजरात) में किए जाते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए मानक और प्रक्रिया का निर्धारण स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है।

समुदायिक स्तर पर हस्तक्षेपों द्वारा बाल विवाह का समाधान करने के लिए विविध प्रदाताओं द्वारा समर्थित कई सिविल सोसाइटी संगठन प्रयासों में सबसे आगे खड़े हुए मिलते हैं। महाराष्ट्र में, बाल विवाह के मामले का समाधान करने के लिए ग्राम स्तर पर मुख्य हितधारकों की धारणा को बदलने के लिए यूनिसेफ (UNICEF) हैलो (HALO) फाउंडेशन की साझेदारी में स्थानीय विद्यालय अधिकारियों के साथ-साथ समुदायों, विशेषकर महिलाओं और किशोरियों के साथ भी काम करता है। राजस्थान में, कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता फैलाने हेतु पहल के लिए संदेश और सामग्री तैयार करने में सहायता देकर यूनिसेफ ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। बिहार में, यूनिसेफ हस्त्क्षेप के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, लड़कियों की शिक्षा को समर्थन प्रदान करता है। यह ग्रामीण स्तर पर स्थांनीय भरोसेमंद नेताओं और बाल विवाह पर कथावाचकों (कहानी सुनाने वाले) की क्षमता को विकसित करने तथा एक-एक दरवाजे तक संदेश पहुंचाने वालों के रूप में कार्य करने वाले युवाचार्यों (युवा विद्धान) के एक दल को तैयार करने के प्रयासों में भी सहयोग करता है। असम में, यूनिसेफ ने चाय बागान प्रबंधन संघों के साथ साझेदारी की है जिनमें से असम ब्रांच ऑफ इंडियन टी ऐसोसिएशन (एबीआईटीए) और भारतीय चाय परिषद (बीसीपी) शामिल हैं जो कार्यस्थल पर नियुक्त हाशिए के समुदायों तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों के तौर पर राज्य में चाय बागानों के एक बड़े भाग को नियंत्रित करते हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से, यूनिसेफ ने बाल विवाह के एजेंडा को अपने अधिदेश में शामिल करने के लिए उसे व्यापक बनाया और बदलाव की दिशा में प्रयास भी किए तथा बाल सुरक्षा समितियां बनाने में सहायता प्रदान करते हुए इसे सामुदायिक संरचनाओं में धरातल पर ला दिया। इन समितियों में शामिल महत्वपूर्ण हितधारक, चाय बागान प्रबंधन के प्रतिनिधि; स्वयं-सहायता समूह और सरकारी स्वापस्य् कार्मिक सदस्य, बाल विवाह के मामलों की निगरानी करने तथा इसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत में कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की समीक्षा से पता चलता है कि विविध स्तरों पर प्रमुख हितधारकों की पहचान करने वाला एक बहुस्तरीय कार्यक्रम एक प्रभावी हस्तक्षेप[23] का निर्माण करता है। यूनिसेफ बाल विवाह के मामले पर राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ-साथ अन्य एजेंसियों के साथ भी काम करता आ रहा है। यूनिसेफ के सभी हस्तक्षेपों के प्रमुख बिन्दुओं में शामिल हैं:

a. **मानकों और व्यवहारों को बदलना:** यह रणनीति का केन्द्रीय घटक है जो मुख्य रूप से समुदाय के स्तर पर लागू होता है। यह सर्वसम्मति बनाने और बाल विवाह को टालने या रोकने के लिए कार्यवाही करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने पर लक्षित है। यह सिद्ध हो चुका है कि बाल विवाह के मामले में, बेटी का विवाह करने में व्यक्तियों (इस मामले में माता-पिता) के निर्णय में समुदायों में मौजूदा मानकों और प्रथाओं का और लम्बे समय से समुदाय में चली आ रही परम्परांओं को तोड़ने पर समुदाय से निकाले जाने के भय का बहुत बड़ा हाथ होता है। रणनीति का यह घटक समुदाय-आधारित पैरोकारी और समुदाय के नेताओं का समर्थन करता है ताकि वे समुदाय संगठनकर्ताओं (एनजीओ, अगुवा कर्मचारियों, अध्यापकों, युवा स्वयंसेवियों) के ज़रिये से आम राय, संवाद और पूरे सामुदायिक संगठन को प्रभावित कर सकें।

b. **लड़कियों का सशक्तिकरण:** लड़कियों के सशक्तिकरण का लक्ष्य उनमे जीवन के हर क्षेत्र में आत्म-विश्वास, क्षमता और निर्णयकारी क्षमताओं का निर्माण और विकास करना है । लड़कियों के समूह जीवन कौशल विकसित करने, ज्ञान के प्रसार और आत्म-सम्मान के विकास के मुख्य स्थान व माध्यम हैं । इन समूहों में ही लडकियां सामजिक मानकों के बदलाव और अपने व अपनी साथियों की शादी

23. नॉट रेडी: लेसंस फ्राम इंडिया ऑन डिलेइंग ऐज फॉर मैरेज, आईसीआरडब्यू, 2008

रोकने वाले रोल मॉडल बनने का सहस जुटाती हैं । लड़कियों की कमज़ोर स्थिति और समाज में उनके कम सम्मान के चलते उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है । लेकिन लड़के ज्यादा महत्वपूर्ण निशाना बनते जा रहे हैं ।

c. **कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना:** विभिन्न स्तूरों पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम करने और इनका समाधान करने वाली व्यवस्था के साथ-साथ कर्तव्यधारकों की भूमिका को भी सुदृढ किए जाने की जरूरत है। इसके अन्तर्गत बाल संरक्षण निकाय, पुलिस, महिलाएं और बाल विकास अधिकारी और बाल विवाह निषेध अधिकारी सभी शामिल हैं। सुरक्षा संरचनाओं तक संपर्क और राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रक्रियाओं की योजना बनाने का समर्थन करना भी शामिल है।

d. **लड़कियों के लिए सतत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना:** भारत में हर दो में से केवल एक लड़की माध्यकमिक शिक्षा पूरी करती है। देखा जाता है कि लड़कियां कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ देती हैं और आमतौर पर इसी समय विवाह कर लेती हैं। स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने से बाल विवाह को टालने में मदद मिलेगी। कुछ हस्तक्षेपों में: प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूल में उपस्थिति के लिए अभियान चलाना और इसका समर्थन करना, पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों का संपर्क स्कूल में समावेशन, सुरक्षित स्कूलों और स्कूलों तक सुरक्षित पहुंच का समर्थन। जीवन कौशल विकास, लैंगिक समस्यांओं और बाल विवाह के बारे में विद्यालयों में ही जानकारी प्रदान करना भी प्रोत्साहित किया जाता है।

e. **सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना:** निर्धनता बाल विवाह के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। असुरक्षित परिवारों (जैसे एक से अधिक बेटियों वाले, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले, निरक्षरता, बाल श्रम की मौजूदगी, अल्पतआयु में विवाह वाले परिवारों) की पहचान करना और उन्हें मौजूदा सामाजिक सुरक्षा निकायों से जोड़ना, बाल विवाह को टालने में योगदान दे सकता है, यदि प्रयास विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए हों। मौजूदा योजनाएं अपने क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। हालांकि, शोध से पता चलता है कि उन्हों ने लड़कियों के परिवारों के मूल्य को बढ़ाने में योगदान दिया है। लड़कियों के मूल्य संवर्द्धन और उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इन योजनाओं हेतु सरकारी जरूरतों के विभिन्न स्तरों पर समर्थन को चरणबद्ध किया जाना चाहिए।

f. **अन्य सेवाओं के साथ संपर्क विकसित करना:** जहां एनीमिया, मातृत्व और बाल मृत्यु दर बाल विवाह से बहुत अधिक प्रभावित हो, वहां बाल विवाह की रोकथाम करने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण के मध्य संपर्क सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यवकता है। ये सेवाएं विवाहित लड़कियों की तंदरुस्ती सुनिश्चित करने के अतिरिक्त बाल विवाह की संभावना को दूर करने के लिए एक अहम प्रवेश बिन्दु बनती हैं। इसे पूरा करने के तरीकों में से एक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस) के प्रतिनिधियों जैसे आशा (ASHA)- एक्रिडिटेड सोशल हेल्थ इक्विटी, एडब्यूडब्यू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम-सह नर्स दाई सक्रिय रूप से शामिल हैं।

हस्तक्षेपों को व्यापक रूप से संवाद, क्षमता निर्माण और वर्तमान स्थिति के बदलाव को बनाये रखने पर लक्षित किया जा रहा है। इन हस्तक्षेपों को एक प्रारूप में नियोजित किया जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

1. राज्य/जिला स्तर पर मास मीडिया – प्राथमिक श्रोताओं जैसे किशोरवय और उनके माता-पिता के व्यहवहार में बदलाव को प्रेरित करने के साथ-साथ एक सक्षम परिवेश का निर्माण करने के लिए जनता की राय को बदलना

2. पैरोकारी- संरचनात्मक मामलों का पता लगाना सुनिश्चित करना- कानूनों और कल्यावणकारी योजनाओं का मजबूत कार्यान्वतयन।

3. सामुदायिक संगठन एंव प्रचार गतिविधियाँ – सामुदायिक स्तर पर मामले की पहचान के लिए सामूहिक कार्य को प्रोत्सानहन देना

4. परिवार/विद्यालय/सामुदायिक स्तर पर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण – सकारात्मक व्यावहारों को स्वीकार करने, अपनाने और उन्हें बनाए रखने के प्रयासों में बच्चों, माता-पिता और दूसरे हितधारकों का समर्थन करना।

ध्यान रखने के लिए बिन्दु!

- बाल विवाह के मामले में हस्तक्षेपों की योजना बनाते समय लड़कियों को ध्यान में रखना एक प्रमुख रणनीति है
- मुख्य विकास मामले के रूप में लैंगिक मानकों में बदलाव, एक सक्षम नीति और वैध ढांचों के साथ-साथ बाल विवाह का पता लगाना कार्यक्रम लागू करने वालों के अहम क्षेत्र हैं।
- बाल विवाह को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है और इसलिए ख़ास उद्देश्य और नतीजों को कार्यक्रम के डिज़ाइन में अभ्यास के साथ जोड़ कर रखें।

अनुभाग

4

बाल विवाह : हस्तक्षेपों को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है

बदलाव के सिद्धान्त पर आधारित एक कार्यकारी रणनीति तैयार करना

योजनाबद्ध ढांचे के विचार-विमर्शों पर आधारित एक कार्यकारी रणनीति तैयार की जा सकती है जिसमें महत्वैपूर्ण हितधारक, उचित क्रियाकलापों के साथ-साथ उनके व्योवहार और धारणाओं में वांछित बदलाव और ये गतिविधियाँ शामिल हों जो बदलाव को सुनिश्चित करें। 'बदलाव का सिद्धान्त' कार्यकारी रणनीति के नियोजन के लिए सुविधाजनक कार्यकारी मॉडल उपलब्ध कराता है। ये उन पूर्वानुमानो का सुस्पष्ट प्रदर्शन है कि किसी ख़ास संपर्क में या किसी ख़ास हस्तक्षेप के सम्बन्ध में बदलाव कैसे अपेक्षित हैं । बदलाव का सिद्धांत ये बताता है कि सफलता की कल्पना को साकार करने के लिए किन कारकों को क्या करना होगा और ये उनके बीच मुख्य संबंधों की पहचान भी करता है ।

बाल विवाह का समाधान करने के लिए 'बदलाव के सिद्धान्त ' का आरेखीय निरूपण दिया गया है। चित्र 2 व्याख्यान करता है कि मसले/ समस्या का समाधान करने के लिए सिद्धान्त को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसे आरेखीय चित्र के आधार में स्थान दिया गया है।

- पहले चरण में, कुछ ख़ास 'परिकल्पकनाओं' पर आधारित हितधारकों के साथ काम करने के लिए 'रणनीतियों' और 'प्रवेश बिन्दुओं' की पहचान की गई है।
- अगले में, 'वांछित बदलाव' की एक श्रृंखला तैयार की गई है जो 'प्रभावों' की तरह ले जाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि एक बदलाव दूसरे को प्रेरित करता है।
- इसी के साथ-साथ हितधारकों में 'वांछित बदलाव' के समर्थन में 'गतिविधियाँ' सुनिश्चित की गई ।
- यदि इन 'क्रियाकलापों' को संचालित किया जाए, तो 'वांछित बदलाव' अपेक्षानुसार होते हैं बशर्ते परिकल्पना हर स्तर पर जायज़ हो।
- यह भी दिलचस्प बात है कि निश्चित 'वांछित बदलावों' के मध्य मौजूद 'संपर्क' अन्योन्याश्रित हैं।

चित्र 2: बाल विवाह का समाधान करने में बदलाव के सिद्धान्त को तैयार करने के लिए बदलाव के सिद्धान्त् का दृश्यत निरूपण

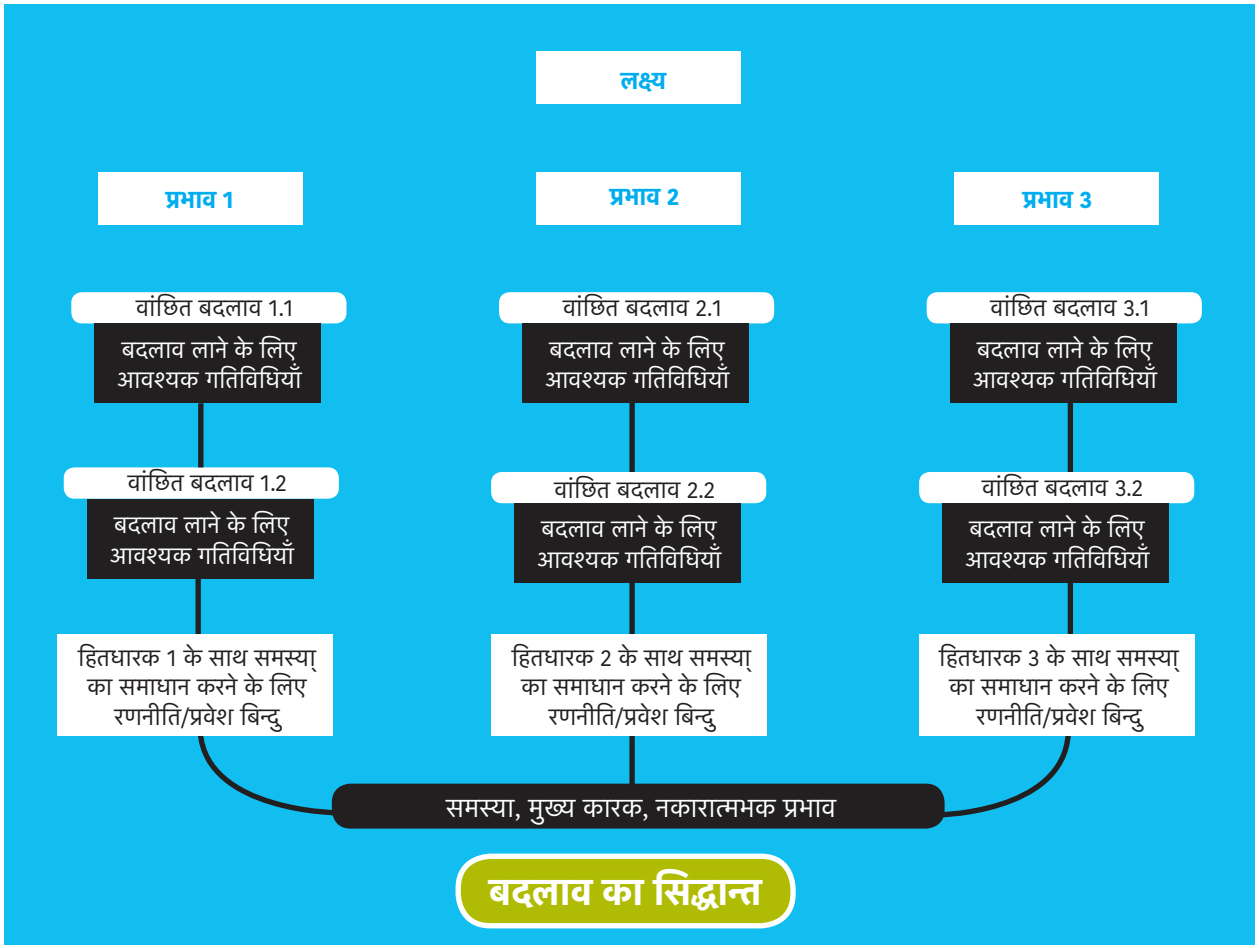

स्रोत: ब्रीफिंग पेपर सिरीज: नवाचार, सबक और अच्छी प्रथाएं। बाल विवाह में समुदाय आधारित हस्तक्षेप UNICEF 2011

उपरोक्तय दृष्टान्त की व्याख्यान करने के लिए, सीएसओ सहयोगी नेतृत्वकारी लोगों[24] (संलग्नक में बदलाव के सिद्धान्त आरेख के सबसे दायीं ओर देखें) के साथ कार्य करते हैं क्योंकि वे समुदाय से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं और समुदाय में बाल विवाह पर जानकारी साझा करना उनका अधिदेश होता है ; वे समुदाय को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें जागरूक करने में सक्षम होते हैं ।

- 'वांछित बदलाव' का पहला चरण उन्हें लिंग भेदभाव के प्रति जागरूक करना और मामले से व्यक्तिगत रूप से जोड़कर उनके समुदाय में इसकी पहचान करना है।
- इसे संभव बनाने के लिए, सीएसओ सहयोगियों एफएलडब्यू में जागरूकता बढ़ाने (क्रियाकलाप 1) और एफएलडब्यूय मे (क्रियाकलाप 2) के प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
- 'वांछित बदलाव' का अगला चरण समुदाय के साथ एफएलडब्यू द्वारा शुरू की जाने वाली चर्चा और सामुदायिक स्तर पर जन्म-पंजीकरण सुनिश्चित करना है। चर्चाओं से युवा लड़कियों और लड़कों के प्रशिक्षण की विशेष जरूरतों का पता लग सकता है।
- किशोरवय के प्रशिक्षण में उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए, सीएसओ को उन्हेंव प्रशिक्षण की विषयवस्तु (गतिविधियाँ 3) उपलब्ध करानी होती है और माता-पिता के साथ मामले पर चर्चा (क्रियाकलाप 4) के लिए एफएलडब्यूहें को बातचीत के बिन्दु देने होते हैं।
- उल्लिखित बदलाव का उच्चतम स्तर है- पूर्व में किए गए बदलावों को बनाए रखना और पहले ही मामलों की जानकारी बाल विवाह समिति/ फोरम जैसे, ग्राम सभा, विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) बैठकों आदि में देना।
- इन बदलावों का प्रभाव समुदाय में लड़कियों की बढ़ी हुई सुरक्षा के रूप में होगा जिसके द्वारा उनके संगठन, उच्च शिक्षा और सहभागिता में वृद्धि होगी, और जिससे अंतिम वांछित 'लक्ष्य' – 18 वर्ष की आयु से कम लड़कियों के बाल विवाह में कमी, की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा।

बाल विवाह में हस्तक्षेप कार्यक्रमों में मुख्य चुनौतियां

- बाल विवाह को व्याोपक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है और इसलिए इन्हें बदलना कठिन है। प्राय: इसका विरोध परिवारों, समुदाय और धार्मिक नेताओं द्वारा किया जा सकता है। समुदाय से प्रतिक्रया के मामलों को अनसुना नहीं किया जाता । इस प्रकार, इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए समुदाय को 'तैयार करना' बहुत ज़रूरी है।
- बाल विवाह के विरुद्ध विधिक सुरक्षा-उपाय होने के बावजूद कानूनों का क्रियान्वयन बहुत खराब है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और विधेयकों के लिए कम बजटीय आवंटन तथा कानूनों को लागू करने के लिए अधिकारियों के गतिरोध प्रमुख बाधा बने हुए हैं।
- बाल विवाह के विरुद्ध प्रत्तीरक्षात्मक प्रक्रियाओं की समुदायों में, विशेष रूप से हाशिये के और ग्रामीण समुदायों में जहां इस प्रथा की संभावना अधिक है जागरुकता बहुत कम है ।
- कुछ बाल विवाह कार्यक्रमों का मूल्यांकन भली-भांति हुआ है और कई ऐसे आशाजनक कार्यक्रम हैं जिनका मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका प्रथमिक लक्ष्यि शिक्षा या आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करना है न कि एक परिणाम के रूप में बाल विवाह का आंकलन करना। मूल्यांकिन चुनौतियों में शामिल तथ्य हैं कि योजनाबद्ध समयसीमा बहुत ही सीमित है, यह पता लगाना मुश्किल है कि 18 वर्ष की आयु तक लड़कियां सचमुच अविवाहित थीं या नहीं और इस देरी का उनके जीवन पर क्या असर हुआ। एक बार लड़कियों का विवाह हो जाने पर, प्राय: वे अपना समुदाय छोड़ देती हैं, जिससे उनके जीवनों या उनके समुदायों पर कार्यक्रमों के संभावित योगदान का पता लगाना कठिन है।
- कार्यक्रम हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह का पता नहीं लगाते हैं। अधिकांश कार्यक्रमों के लिए, किशोरवय और युवाओं के लिए बाल विवाह दूसरे स्वास्थ्य, कल्याण या सशक्तिकरण परिणामों के साथ जुड़ा हुआ एक लक्ष्य रहा है। बाल विवाह का समाधान करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों, परिणामों और क्रियाकलापों को सूचीबद्ध और

24. आशा, अधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता, एडब्यूडब डब्यू - आंगनवाडी कर्मचारी और एएनएम - सहायक नर्स मिड-वाइफ नेतृत्वकारी लोग हैं।
25. उत्पाद विवरण की अधिक विस्तृत जानकारी बाल विवाह हस्तक्षेप टूलकिट के कवर पेज पर उपलब्ध हैं

नियोजित करना तथा दूसरे विषयों के साथ मामले को मुख्यधारा में शामिल करना और सेवाओं तक संपर्क निर्माण करना जरूरी है।

- व्यवहार परिवर्तन संबंधी हस्तक्षेपों के लिए समय और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। प्राय: उनका दायरा सीमित होता है और इसलिए बाल विवाह के प्रति जागरुकता फैलाना और इसमें प्रभावी रूप से कमी ला पाना एक बड़ी चुनौती है।

ध्यान रखने के लिए बिन्दु!

- योजनाबद्ध ढांचे के विचार-विमर्शों पर आधारित एक कार्यकारी रणनीति तैयार की जा सकती है जिसमें महत्वपूर्ण हितधारक, उचित गतिविधियों के साथ-साथ उनके व्यवहार और धारणाओं में आवश्यक बदलाव शामिल हों जो बदलाव को सुनिश्चित करें।
- 'बदलाव का सिद्धान्त' कार्यकारी रणनीति के नियोजन के लिए सुविधाजनक कार्यकारी मॉडल उपलब्ध कराता है। किसी विशिष्टत सन्दर्भ और विशेष हस्तक्षेप के संबंध में होने वाले अपेक्षित बदलावों के बारे में परिल्पलनाओं का एक स्पष्ट निरूपण है। बदलाव का सिद्धान्त सफलता पाने और इसे बनाए रखने के लिए किये जाने वाले कामों की भूमिकाओं का खाका तैयार करता है और उनके बीच प्रमुख संपर्कों की पहचान करता है।
- बाल विवाह हस्तक्षेपों में 'बदलाव के सिद्धान्ति' के आधार पर गतिविधियों की पहचान की जा सकती है जो सीएसओ सहयोगियों द्वारा बाल विवाह हस्तक्षपों को लागू करने में एक उपयुक्तत टूलकिट का निर्माण करने में सहायक है।
- हालांकि, जल्दी विवाह की समस्या का समाधान करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, फिर भी सामने आ रहे साक्ष्य बताते हैं कि लड़कियों पर विशेष ध्यान देने वाले और उन्हें सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम अपना प्रभाव डाल रहे हैं और वे विवाह को टालने में मुख्य निर्धारक हैं।

© Breakthrough/India

संलग्नक

संलग्नक 1

परिकल्पनाओं सहित बाल विवाह* का समाधान करने से संबंधित बदलाव का सिद्धान्त

टी.ओ.सी. को सही तरीके से देखने के लिए संलग्न पोस्टर को खोले ।

बाल विवाह का समाधान करने से संबंधित बदलाव का सिद्धान्त तैयार करने से जुड़ी परिकल्पनाएं:

1. वर्तमान में किशोरवय लड़कियां और लड़के लिंग-संवदेनशील नहीं हैं।
2. अध्यापक बाल विवाह मामलों पर समुदाय को प्रेरित करने में सक्षम हैं।
3. वर्तमान में अध्यापक लिंग-संवेदनशील नहीं हैं।
4. समुदाय को प्रेरित करने की अपनी योग्यता के बारे में अध्यापक जागरूक नहीं हैं।
5. समुदाय को प्रेरित करने में अध्यापक रुचि ले सकते हैं।
6. बाल विवाह का समाधान करने में स्कूगल मशीनरी- आधारभूत ढांचा, लोग और नेटवर्क जैसेकि एसएमसी किशोरवय विद्यार्थियों को समर्थन प्रदान कर सकते हैं और उनके लिए जगह निर्धारित कर सकते हैं।
7. बाल विवाह में अधिक प्रभावी विद्यालय-आधारित हस्तक्षेपों की अधिकता दो कारणों के चलते सरकारी स्कूलों के माध्यम से संभव है। पहला, बाल विवाहों का सर्वाधिक प्रचलन ग्रामीण इलाकों में है, जहां निजी विद्यालयों का प्रतिशत बहुत ही कम है। दूसरा, किशोरवय लड़कियों को अधिकांशत: सरकारी विद्यालयों में भेजा जाता है जहां शिक्षा सस्ती है क्योंकि उनके परिवार उनके भविष्य पर बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहते।
8. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अपने समुदायों से भली-भांति जुड़े होते हैं।
9. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता आमतौर पर पहले ऐसे व्याक्ति होते हैं जिन्हें बाल विवाहों की सूचना पहले से मिल जाती है।
10. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता को अपने समुदायों के साथ बाल विवाह से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिदेश होता है।
11. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में लिंग संवेदीकरण का स्तर निम्न होता है।
12. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता उसी समुदाय का अंग हैं और पीआरआई (पंचायती राज संस्थान) प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं की अपेक्षा सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर होते हैं।
13. समुदाय के तय मानकों का अनुसरण करने वाली अग्रिम पंक्ति की कार्यकताएं महिलाएं हैं।
14. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता समुदाय में किशोरवय, पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित करने/संवेदनशील बनाने में सक्षम हैं।
15. पीआरआई (पंचायती राज संस्थान) प्रतिनिधियों को सामुदायिक स्तर पर (भारतीय सरकार द्वारा) शक्ति और अधिकार के साथ अधिदेश दिया जाता है। इसने समुदाय में निर्णय लेने को काफी हद तक प्रेरित किया है।
16. ग्राम पंचायत स्तर पर पीआरआई सदस्य सरकारी नीतियों के संरक्षक हैं।
17. समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) अपने एजेंडे में बाल विवाह मामलों को प्राथमिकता नहीं देते हैं।
18. सीबीओ और एसएचजी साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करने में सक्षम हैं।
19. वयस्कता की ओर बढ़ती हुई बालिकाओं के बचाव और सुरक्षा के डर से किशोरवय के माता-पिता और पारिवारिक सदस्य लड़कियों का विवाह कम उम्र में ही करा देते हैं।
20. कम उम्र में विवाह करने वाले किशोरवय के माता-पिता और परिवार के सदस्य निर्धन होते हैं और कम शिक्षित होते हैं।
21. कम उम्र में विवाह करने वाले किशोरवय के माता-पिता और परिवार के सदस्यद लड़कियों का मूल्य कम आंकते हैं।
22. कम उम्र में विवाह करने वाले किशोरवय के माता-पिता और परिवार के सदस्यों पर बाल विवाह से संबंधित 'मानकों', जैसे कि अच्छे शकुन पर बच्चों का विवाह करना, लड़कियों के रजस्वला होने से पहले विवाह कर देना आदि, के दबाव में किया जाता है।
23. अभिभावक व परिवार के सदस्य अपनी बच्ची की शादी करने की ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं
24. पुलिस और बाल विवाह सुरक्षा अधिकारी (सीएमपीओ) समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही के लिए अधिशासित हैं।
25. पुलिस की बाल विवाह की घटना के खिलाफ कार्यवाही की शक्ति अन्य हितधारकों द्वारा इसकी रिपोर्ट करने से ही बनती है।
26. जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध की व्यवस्था के बीच नाममात्र की एक रूपता है ।

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 Fax: 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
Facebook: /BreakthroughIN
Twitter: @INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 Fax: 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
Facebook: /unicefindia
Twitter: @UNICEFIndia